संख्या: **167/2024/**पू0वि0नि749/35-1-2024

प्रेषक,

शैलेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
मऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 05 नवम्बर, 2024

विषय: जनपद मऊ में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गतस्वीकृत 01 परियोजना के अवशेष धनराशि की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1868/पू0वि0नि0/राज्यांश/2024-25, दिनांक 01-10-2024एवं पत्र संख्या-1231/पू0वि0नि0/राज्यांश/2024-25,दिनांक 20-07-2024, संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से जनपद मऊ में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत 01 परियोजना के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कालम संख्या-5 में अंकित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति कालम संख्या-3 में अंकित शासनादेश द्वारा प्रदान की गई है।निम्नांकित तालिका के कालम संख्या-2 में अंकित परियोजना के चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन हेतु अगली किश्त के रूप में परियोजना के सापेक्ष कालम संख्या-9 में अंकित कुल रू080.50 लाख(रूपये अस्सी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-83 से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्रीराज्यपालसहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-83 (धनराशि रू0 लाख में)

क्र	परियोजनाका नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई कि0मी0 में	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त धनराशि	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	मांगी गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद मऊ में घोसी तहसील के अमिला में निर्माणधीन अग्निशमन केन्द्र के सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	23/2023/746 /008-23-14099-099-2022, दिनांक 29.03.2023	2.42	101.70	20.34	0.86	80.50	80.50

(रूपये अस्सी लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढ़ंग से पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।
2. उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
3. आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
6. परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।
7. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।
9. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।
10. स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2025 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
11. परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

12. मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।
13. परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थान के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
14. नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0 पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।
17. विषयकगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश की नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 80.50लाख(रूपये अस्सी लाख पचास हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक''4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापसंख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024,दिनांक 04 मार्च, 2024में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(शैलेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

संख्या-**167/2024/**पू0वि0नि0/749(1)/35-1-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय,उ0प्र0,प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. मण्डलायुक्त,आजमगढ़ मण्डल।
8. जिलाधिकारी, मऊ ।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,मऊ ।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,मऊ ।
12. अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,मऊ ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शैलेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।